

अध्याय-III
बजटीय प्रबंधन


अध्याय-III बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट से सम्बन्धित जरूरी शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट-3.1 में दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट-3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनता है।


चार्ट-3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों तथा घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2020-21 के लिए बजट कार्यान्वयन का सारांश नीचे चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट- 3.2: वर्ष 2020-21 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



स्रोत: बजट नियमावली व विनियोजन लेखे में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश

2020-21 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 61,597 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 53,139 करोड़ (86 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8,458 करोड़ (14 प्रतिशत) की बचत हुई। 2020-21 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2016-17	31,253	7,423	31,312	7,396	59	-27
2017-18	33,869	7,399	30,440	7,371	-3,428	-28
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसाकि तालिका-3.2 से स्पष्ट है, 2017-18 के बाद से दोनों प्रभागों (अर्थात दत्तमत एवं प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ बचत हुई। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार को अपने बजट प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। परिच्छेद-3.3.7 में पर्याप्त एवं निरन्तर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन,

अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका-3.3 बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय के सारांश को दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका-3.3: बजट प्रावधान के बिना हुए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
प्रभारित			
5	2053-00-093-01-S00N	0.72	सामान्य स्थापना
	3454-02-110-02-S00N	17.00	प्रबंधन प्रकोष्ठ
8	2202-04-200-03-S10N	17.39	पढ़ना लिखना अभियान
9	2211-00-200-05-S00N	371.26	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रावधान
10	5054-04-337-02-S00N	0.68	सड़कों का निर्माण
11	2401-00-800-14-S00N	33.63	फसल विविधीकरण परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)
	2401-00-001-01-S00N	5.30	निदेशालय
14	2405-00-101-10-C53N	50.45	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
	2405-00-101-10-S13N	12.61	
16	2406-01-01-02-S000N	4.90	संभागीय प्रतिष्ठान
21	2425-00-001-01-S00N	13.04	निदेशालय
28	2217-80-193-05-S00N	35.00	पार्किंग का निर्माण
30	4220-60-101-02-S00N	5.00	प्रेस क्लब भवन का निर्माण
31	2202-04-796-03-S10N	2.69	पढ़ना लिखना अभियान
	2235-02-796-19-C90N	0.25	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
32	2401-00-789-25-C90N	96.00	कृषि विकास योजना (कृषि)
	2401-00-789-25-S10N	10.67	
	कुल	580.59	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.2 विनियोजन अधिनियम द्वारा अंतरण (बैंक खातों में) अधिदेशित न करना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का आहरण एवं उन्हें बैंक खातों में जमा करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 183 (V) व नियम 184 (II) का उल्लंघन है। इसमें दुर्विनियोजन का जोखिम होता है क्योंकि निधियां बिना किसी निगरानी के सरकारी खाते से बाहर रहती हैं तथा अनधिकृत उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है।

लेनदेनों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2020-21 के दौरान ₹ 1,350.50 करोड़ की राशि कोषागार से आहरित कर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अंतरित की गई, जो हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017 के नियम 183(V) व 184(I) का उल्लंघन था।

3.3.3 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय व प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाईयों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान रखने के लिए विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में अथवा पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष की अत्योक्ति/ न्यूनोक्ति में परिणत होता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान यह देखा गया कि ₹ 8.23 करोड़ का व्यय पूंजीगत वर्ग के बजाए राजस्व वर्ग के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया तथा ₹ 10.51 करोड़ गलत तरीके से राजस्व वर्ग की अपेक्षा पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत दर्ज किए गए, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण राज्य के राजस्व घाटे में अधिकतम ₹ 2.28 करोड़ की न्यूनोक्ति रही।

3.3.4 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

बजट में हुई संभावित अथवा वास्तविक बचत को व्यय की नई मदें प्रस्तुत करने के अवसर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए तथा उन्हें (ऐसे व्यय को) अगले वर्ष तक रोका जाना चाहिए। बजट में स्पष्ट रूप से हुई बचत को इस डर के बिना कि अगले वर्ष बजट आवंटन घट जाएगा, अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

एक उप शीर्ष से दूसरे में बहुत अधिक पुनर्विनियोजन करने से सदैव बचना चाहिए। वर्ष के दौरान नया व्यय प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि वह नया व्यय, जिसे टाला नहीं जा सकता अथवा जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो अथवा वह जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्मित करेगा अथवा वह जो राजस्व या जनता को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, परन्तु ऐसी परिस्थिति में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यह आवश्यकताएं पहले से ज्ञात नहीं थी तथा बजट में इसका प्रावधान किया गया था। पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया मात्र त्रुटियां तथा दूरदर्शिता के अभाव को सुधारने हेतु नहीं बनाई गई है।

2020-21 के दौरान 10 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत- दत्तमत) के तहत 10 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 140.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका-3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन मामलों (तालिका-3.5) में ₹ 349.83 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए

क्योंकि कुल ₹ 88.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट-3.3)।

चार्ट-3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.4: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
राजस्व-दत्तमत					
1.	4-सामान्य प्रशासन	244.15	4.63	213.21	30.94
2.	6-आबकारी एवं कराधान	84.73	17.01	84.22	0.52
3.	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,248.03	24.43	1,207.72	40.31
4.	21-सहकारिता	36.46	2.49	36.25	0.21
5.	27-श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	362.38	11.14	257.14	105.25
पूंजीगत दत्तमत -					
6.	3-न्याय प्रशासन	7.05	1.23	5.15	1.90
7.	7-पुलिस और संबद्ध संगठन	62.64	10.79	43.05	19.59
8.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	174.50	5.53	68.97	105.53
9.	31-जनजातीय विकास	435.13	6.16	365.86	69.28
10.	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,390.21	56.81	1,297.27	92.94
कुल		4,045.30	140.23	3,578.84	466.46

स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.5: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत					
1	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	655.66	78.46	754.51	20.39
पूँजीगत - दत्तमत					
2	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	1,208.50	225.53	1,496.13	62.10
3	25-सड़क और जल परिवहन	102.67	45.84	154.62	6.11
कुल		1,966.83	349.83	2,405.26	88.60

यद्यपि राज्य सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग सम्बन्धित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में होने वाले अतिरिक्त व्यय का हवाला देते हुए की, तथापि 10 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से भी कम रहा, जैसाकि तालिका-3.4 दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों से अधिक था, जैसाकि तालिका-3.5 दर्शाया गया है। उपरोक्त दृष्टांत दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग, व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/अनुमान नहीं कर पाया था।

3.3.5 पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। इस प्रकार, सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरे इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, अतः निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के भीतर मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे के लिए बदला जाता है। एक निश्चित प्रयोजन हेतु विधानसभा की सम्मति से किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2020-21 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया। अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.6 अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी एक इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे कई मामले थे जहां पुनर्विनियोजन या तो अनावश्यक या अपर्याप्त सिद्ध हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट-3.2 में दिखाया गया है। तालिका-3.6 (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत) एवं तालिका-3.7 क्रमशः अनावश्यक व अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों का विवरण दर्शाती है।

तालिका-3.6: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	बचत
1	7-पुलिस और	2055-00-109-01	660.03	0.09	6.32	666.45	551.82	-114.63
2	संबद्ध संगठन	2070-00-108-02	40.24	0	5.33	45.57	35.38	-10.19
3		2202-02-109-01	2,359.49	0	5.82	2,365.31	2,029.96	-335.35
4		2202-03-103-07	47.06	0	0.33	47.39	12.97	-34.42
5	9-स्वास्थ्य	2210-01-110-03	308.45	0	21.00	329.46	245.16	-84.30
6	और परिवार कल्याण	2211-00-200-05	334.42	0	9.71	344.13	250.82	-93.31
7	10- लोक	3054-04-105-19	184.44	0	0.13	184.57	134.94	-49.63
8	निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	5054-04-337-11	50.00	0	10.00	60.00	44.07	-15.93
9	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-02	149.59	0	0.42	150.01	97.61	-52.40
10	32-अनुसूचित	2235-02-789-01	77.72	0	4.47	82.19	60.44	-21.75
11	जाति उप	4215-02-789-02	38.43	0	0.90	39.33	13.90	-25.43
12	योजना	5054-04-789-01	175.07	0	4.95	180.01	167.39	-12.62
13		5054-04-789-04	61.50	0	0.20	61.70	40.48	-21.22

स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.7: अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के उदाहरण जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
1	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4210-03-105-01	13.98	78.01	0.05	92.04	118.08	26.03
2	10- लोक निर्माण	5054-04-101-01	5.00	0.75	13.78	19.53	25.56	6.03
3	कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	5054-04-337-09	394.86	117.70	66.12	578.68	724.20	145.52
4	13-सिंचाई,	2215-01-005-02	0.58	0	3.20	3.78	11.78	8.00
5	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-01	36.01	0	68.81	104.82	159.76	54.94

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
6	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-60-102-04	69.24	0	0.09	69.33	70.37	1.05
7	29- वित्त	2049-05-105-02	0	0	91.30	91.30	107.50	16.20
8		2071-01-104-02	732.45	0	0.06	732.51	572.83	42.42
9	31-जनजातीय विकास	2215-01-796-01	4.91	0	1.31	6.21	8.02	1.84
10		5054-04-796-01	45.69	0	8.07	53.76	55.98	2.22
11		5054-04-796-02	54.00	3.26	30.01	87.26	99.73	12.47
12	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-02-789-02	10.08	0	0.75	10.83	13.68	2.85
13		5054-04-789-08	151.14	36.55	40.84	228.53	284.23	55.70

उपरोक्त तालिका-3.6 व 3.7 में दर्शाए गए सभी मामलों में मार्च 2021 के महीने में पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे, जिसमें संबंधित योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को बताया गया था। तथापि, तालिका-3.6 में दर्शाए गए 13 मामलों में पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व उससे अधिक की बचत) अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, तालिका-3.7 में दर्शाए गए 13 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

यद्यपि, 2020-21 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में तथा राजस्व से पूंजीगत में एवं दत्तमत से प्रभारित या प्रभारित से दत्तमत में पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं देखा गया।

3.3.7 बचतें

पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में हर उस बात का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, व्यय पर खराब निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता / कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक

खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचत ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 64 मामलों में, बचत कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ या 20 प्रतिशत से अधिक हुई, जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है। विभिन्न अनुदानों में ₹ 59,042 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति अप्रयुक्त ₹ 8,546 करोड़ बचत के रूप में शेष रहे। 15 अनुदानों (दत्तमत) में, ₹ 8,546 करोड़ की कुल बचत/अप्रयुक्त राशि में से 16 मामलों में ₹ 7,104 करोड़ (83 प्रतिशत) राशि की पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) पाई गई जोकि तालिका-3.8 में दर्शाई गई है।


तालिका-3.8: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से ऊपर) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)								
क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत
राजस्व- (दत्तमत)								
1	5	1,363.11	0	1,363.11	1,246.68	-116.43	-14.64	-101.79
2	7	1,549.20	0	1,549.20	1,243.75	-305.45	-62.22	-243.23
3	8	7,068.14	0	7,068.14	5,706.05	-1,362.09	-745.32	-616.77
4	9	2,406.99	0	2,407.00	1,917.35	-489.64	-111.43	-378.22
5	10	3,752.85	0	3,752.85	2,789.83	-963.02	-27.78	-935.24
6	13	2,774.82	0	2,774.82	2,644.74	-130.08	-483.65	353.57
7	16	809.81	0.01	809.82	639.30	-170.51	-107.01	-63.50
8	20	1,409.77	0	1,409.77	1,246.30	-163.47	-106.55	-56.92
9	27	362.38	11.14	373.52	257.14	-116.39	-0.09	-116.30
10	29	7,382.45	0	7,382.45	6,179.79	-1,202.66	-1,250.46	47.80
11	31	1,504.70	0	1,504.71	1,089.02	-415.69	-132.22	-283.48
12	32	1,453.72	0	1,453.72	1,189.03	-264.69	-36.64	-228.06
पूँजीगत- (दत्तमत)								
13	15	444.54	0	444.54	226.47	-218.07	-207.89	-10.18
14	26	958.71	0	958.71	34.03	-924.68	-890.00	-34.68
15	28	174.50	5.53	180.03	68.97	-111.06	0	-111.06
16	32	1,390.21	56.81	1,447.02	1,297.27	-149.75	0	-149.75
कुल		34,805.90	73.49	34,879.41	27,775.72	-7,103.68	-4,175.90	-2,927.81

स्रोत: विनियोजन लेखे।

बचत के कारणों को न तो विनियोजन लेखों में दिया गया (सामान्य/नियमित प्रकृति के कारणों को छोड़कर) और न ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया (दिसम्बर 2021 तक)। इन अनुदानों के अंतर्गत हुई बड़ी बचत यह दर्शाती है कि राज्य सरकार ने आवश्यक निधियों का ठीक अनुमान किए बिना बजट प्रावधान बनाए थे।

चार्ट-3.4 में बजट आबंटन के प्रति हुई बचत के प्रतिशत को अनुदानों/विनियोजनों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

विगत पांच वर्षों के दौरान 23 अनुदानों में 31 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) निरंतर बचत हुई (विवरण परिशिष्ट-3.4 में), जिनमें से पांच मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका-3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.9: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व-दत्तमत							
1	08	शिक्षा	864.96	665.02	955.16	1,110.61	1,362.09
2	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	295.90	211.66	330.83	377.72	489.64
3	20	ग्रामीण विकास	121.61	402.93	383.93	351.17	163.47
4	31	जनजातीय विकास	177.85	242.34	325.72	371.39	415.69
5	32	अनुसूचित जाति उप योजना	321.14	405.83	390.87	513.37	264.69

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा निधियों के आबंटन के दौरान पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। इसे पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रत्येक मामले के दृष्टांत तालिका-3.10 में दिए गए हैं।

तालिका- 3.10: मार्च माह की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1	03	265.62	1.23	266.86	211.84	-55.02	35.98
2	04	266.29	4.63	270.93	226.07	-44.86	29.02
3	05	1,373.96	1.64	1,375.60	1,259.16	-116.43	14.64
4	07	1,611.84	10.89	1,622.73	1,286.90	-335.82	62.22
5	08	7,179.64	19.69	7,199.33	5,837.22	-1,362.11	745.32
6	09	2,562.54	108.40	2,670.95	2,172.50	-498.45	111.43
7	10	4,961.35	243.58	5,204.93	4,298.60	-906.34	27.78
8	11	534.48	0.05	534.53	445.99	-88.55	51.10
9	13	3,726.30	3.04	3,729.34	3,567.71	-161.62	483.65
10	14	450.19	0.00	450.19	369.89	-80.30	40.34
11	15	521.55	0.00	521.55	281.59	-239.97	214.89
12	16	830.54	0.02	830.56	656.49	-174.07	107.99
13	18	254.71	0.23	254.93	206.21	-48.72	24.24
14	20	1,421.04	0.60	1,421.64	1,258.16	-163.48	106.55
15	22	305.72	0.09	305.81	275.84	-29.97	28.36
16	26	1,112.20	0.00	1,112.20	165.63	-946.57	909.82
17	29	15,725.66	8,002.63	23,728.29	21,803.35	-1,924.94	1,565.89
18	31	1,939.84	6.19	1,946.03	1,454.90	-491.13	132.22
19	32	2,843.93	56.81	2,900.74	2,486.30	-414.44	36.64
कुल		47,887.40	8,459.72	56,347.14	48,264.35	-8,082.79	4,728.08

स्रोत: विनियोजन लेखे।


जैसाकि तालिका में दिया है कि 19 मामलों में ₹ 4,728.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण (आवंटित मूल बजट का 9 प्रतिशत) माह मार्च 2021 में किया गया।

मार्च के समाप्ति पर निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्न स्तरीय निगरानी, कमज़ोर वित्तीय नियंत्रणों को दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु न किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.5 में दिया गया है।


चार्ट-3.5: उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या का वितरण



एक अनुदान (अनुदान संख्या 26-पर्यटन एवं नागरिक उड़डयन) में उपलब्ध निधियों का केवल 15 प्रतिशत उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 946.57 करोड़ की बचत हुई। इस बचत का मुख्य कारण अनुमान से कम परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति रहा।

चार्ट-3.6: वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व हुई बचत एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अभ्यर्पण आदेशों से देखा गया, सभी अभ्यर्पण (₹ 4,736 करोड़) मार्च, 2021 के महीने में किए गए थे। यह निधियों के कमज़ोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.8 व्यय आधिक्य तथा इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.8.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्रावधान से व्यय आधिक्य के विवरण तालिका-3.11 दिए गए हैं।

तालिका-3.11: 2020-21 के दौरान अनुदान/ विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

		विभाग/अनुदान के नाम				
		13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	31- जनजातीय विकास	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	25- सड़क और जल परिवहन
दत्तमत	राजस्व	00	20,39,26,716	00	00	00
	पूँजीगत	00	00	00	62,10,40,558	6,11,05,979
प्रभारित	राजस्व	8,39,000	00	00	00	00
	पूँजीगत	00	00	453	00	00
कुल आधिक्य		88,69,12,706				

स्रोत: विनियोजन लेखे

2020-21 में पांच मामलों (पांच अनुदानों से संबंधित) में बजट प्रावधान से अधिक ₹ 88.69 करोड़ का व्यय आधिक्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपरोक्त में उल्लेखनीय योगदान देने वाली योजनाओं के तहत राज्य की समेकित निधि से प्राधिकरण पर अधिक संवितरण का विवरण तालिका- 3.12 में दिया गया है।

तालिका-3 21-2020 :12.के दौरान प्राधिकरण के सापेक्ष शीर्षवार संवितरण-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत								
1	28	2217-80-191-56	वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त ग्रेटर शिमला जलापूर्ति योजना	108.89	0	108.89	180.13	71.24
2		2217-80-191-57	अटल श्रेष्ठ शहर योजना	2.00	0	2.00	3.80	1.80
राजस्व दत्तमत								
3	13	2215-01-102-13	सामग्री व दैनिक वेतनभोगियों पर व्यय	0.0001	0	0.0001	0.084	0.084
पूंजीगत दत्तमत								
4	10	4059-80-051-03	विश्राम गृह/ सर्किट गृहों का निर्माण	9.64	0	9.64	13.14	3.50
5		5054-04-101-01	पुलों का निर्माण	5.75	13.78	19.53	25.56	6.03
6		5054-04-337-09	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के तहत कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक व्यय निधि	512.56	66.12	578.68	724.20	145.52
7		5054-04-337-15	मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें और पुल)	6.78	0	6.78	12.08	5.30
8	25	5002-01-120-01	रेलवे लाइनों का निर्माण	80.33	0	80.33	87.50	7.17

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.8.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष व्यय आधिक्य देखा गया है। यह निरंतर व्यय आधिक्य परिचायक है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए। बार-बार होने वाले ऐसे व्यय आधिक्य राज्य विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना कठोरता से एक भी रूपया खर्च न किया जा सके, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निरंतर आधिक्य बजट बनाते समय अनुपयुक्त प्राक्कलन बनाने के कारण हो सकते हैं।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान निरंतर आधिक्य का कोई मामला किसी भी अनुदान में नहीं देखा गया था।

3.3.8.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमज़ोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान 16 अनुदानों एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹8,729.78 करोड़ का व्यय आधिक्य दिसम्बर 2021 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तीन अनुदानों एवं दो विनियोजनों में अनुमति के अतिरिक्त किए गए ₹ 88.69 करोड़ के व्यय आधिक्य का विनियमन भी अपेक्षित है।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका-3.13 में सारांशित की गई है:

तालिका - 3.13: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-20) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) तथा 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत), 31	15,85,69,18,458	नियमित नहीं किए गए।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) तथा 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) तथा 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) तथा 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) तथा 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) तथा 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत)	49,91,20,218	
कुल			87,29,78,17,311	

स्रोत: विनियोजन लेख।

3.3.9 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को

संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

2020-21 के दौरान पूंजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 1,039.67 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी तथा सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई। इसे भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में ही वर्गीकृत किया गया था।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

2020-21 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-3.14 में दी गई है।

तालिका- 3.14: 2020-21 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	शुद्ध बचत (-)	मार्च में अभ्यर्षण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	37,397.26	541.42	37,938.68	31,767.50	-6,171.18	-3,300.55	-8.70
	II. पूंजीगत	6,312.99	485.42	6,798.42	5,352.51	-1,445.91	-1,116.23	-16.42
	III. ऋण तथा अग्रिम	359.45	60.43	419.87	320.11	-99.76	-6.58	-1.57
	कुल	44,069.70	1,087.27	45,156.97	37,440.12	-7,716.85	-4,423.36	-26.69
प्रभारित	I. राजस्व	5,008.30	14.47	5,022.77	4,543.72	-479.05	-312.92	-6.23
	II. पूंजीगत	0.00	20.75	20.75	13.63	-7.12	0.00	0.00
	III. लोक ऋण चुकौती	3,393.51	8,002.63	11,396.14	11,141.04	-255.10	0.00	0.00
	कुल	8,401.81	8,037.85	16,439.66	15,698.39	-741.27	-312.92	-6.23
सकल योग	52,471.51	9,125.12	61,596.63	53,138.51	-8,458.12	-47,36.28	-32.92	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, तीन अनुदानों तथा दो विनियोजनों में ₹ 8,458.12 करोड़ की हुई समग्र बचत अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 8,546.81 करोड़ की बचत में से ₹ 88.69 करोड़ का आधिक्य समायोजित करने का शुद्ध परिणाम थी।

2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.15 में दर्शाया गया है।


तालिका-3.15: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	34,739	37,940	43,842	46,971	52,472
अनुपूरक बजट	3,937	3,327	3,143	6,737	9,125
संशोधित अनुमान	35,865	38,995	43,625	49,688	53,460
वास्तविक व्यय	38,708	37,811	42,469	45,528	53,139
बचत (-)/ आधिक्य (+)	32	-3,456	-4,516	-8,180	-8,458
बचत (-)/ आधिक्य (+) की प्रतिशतता	0.08	-8.37	-9.61	-15.23	-13.73

स्रोत: विनियोजन लेखे तथा संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-21 के दौरान बचत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जो बजटीय परिव्यय का लगातार निम्नतर इष्टतम उपयोग किए जाने का परिचायक है। बजट आबंटन (मूल व अनुपूरक) की प्रवृत्ति एवं उसके प्रति उपयोग को चार्ट-3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.7: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोग



स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल आबंटन के प्रति बजट उपयोग के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु अंत में वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका कोई हिस्सा खर्च कर पाता है, न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। जबकि उसी दौरान अन्य योजनाएं निधियों की आवश्यकता के कारण अधूरी रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बड़े पैमाने पर जनता अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाती है अपितु परियोजना लागत में भी वृद्धि होती है।

'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.16 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.16: 'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
पूँजीगत- दत्तमत						
1	01- विधान सभा	3.05	0.05	3.10	1.77	1.33
2	03- न्याय प्रशासन	7.05	1.23	8.28	5.15	3.13
3	04- सामान्य प्रशासन	8.56	0.00	8.56	0.12	8.44
4	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	62.64	10.79	73.43	43.05	30.38
5	08- शिक्षा	111.50	18.96	130.46	130.44	0.02
6	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	155.55	108.00	263.55	254.75	8.80
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	951.48	0.00	951.48	921.64	29.83
8	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	23.41	0.23	23.64	14.54	9.09
9	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	12.03	0.00	12.03	7.09	4.94
10	20- ग्रामीण विकास	11.27	0.60	11.87	11.86	0.01
11	21- सहकारिता	0.02	58.55	58.57	58.56	0.01
12	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.05	0.09	0.14	0.14	0.00
13	23- ऊर्जा विकास	307.30	0.00	307.30	304.04	3.26
14	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	174.50	5.53	180.03	68.97	111.06
15	30- विविध सामान्य सेवाएं	37.51	0.85	38.36	36.81	1.55
16	31- जनजातीय विकास	435.13	6.16	441.29	365.86	75.44
17	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1390.21	56.81	1447.02	1297.27	149.75
	कुल:	3691.27	267.85	3959.12	3522.08	437.04

स्रोत: विनियोजन लेखे।

राज्य सरकार से वर्ष के दौरान निधियों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकने वाली योजनाओं / परियोजनाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा

सका कि क्या 'पूँजीगत -दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत ₹ 437.04 करोड़ की बचत का उपयोग उन योजनाओं /परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था।

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति) के लिए होती है।

बजट की कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं उसके प्रति हुआ वास्तविक व्यय तालिका-3.17 में दिया गया है।

तालिका-3.17: 2020-21 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1.	कृषि कोष	2401-00-115-02	20.00	0	-20.00
2	कृषि से सम्पन्नता योजना	2401-00-109-33	0.001	0.97	0.969
3	नादौन मध्यम सिंचाई योजना	4701-21-800-01	2.55	0	-2.55
4		4701-21-789-01	0.84	0	-0.84
5	कृषि उत्पाद संरक्षण योजना	2401-00-107-07	10.00	0.74	-9.26
6	पर्वत धारा	4702-00-101-12	0.001	2.88	2.879
7	हिम उद्यमी स्टार्टअप योजना-	2851-00-102-31	10.00	2.06	-7.94
8	बाल पोषाहार	2235-02-102-23	30.00	29.98	-0.02
9	स्वस्थ बचपन	2202-01-101-14	1.00	0	-1.00
कुल			74.39	36.63	-37.76

स्रोत: बजट भाषण तथा वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान उपरोक्त योजनाओं हेतु किए गए ₹ 74.39 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति केवल ₹ 36.63 करोड़ (49.24 प्रतिशत) का व्यय किया गया। नौ योजनाओं में से चार में कोई व्यय नहीं किया गया, अतः लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

3.4.4 योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमें वास्तविक निधियन

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल, योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों पर मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता के चलते कार्य प्रारम्भ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि के कारण या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। ऐसी योजनाओं में हुई बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2020-21 के दौरान 114 योजनाएं जिनमें प्रावधान (लगभग ₹ एक करोड़ तथा अधिक) किया गया था परंतु कोई भी व्यय नहीं किया गया (विवरण परिशिष्ट-3.5 में दिया गया है) उनमें से कुछ बड़ी योजनाओं के विवरण तालिका-3.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.18: कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	व्यय	टिप्पणी
1.	वित्त	% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	385.75	0.00	
2.	ग्रामीण विकास	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	241.65	0.00	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की कमी का कोई कारण नहीं बताया गया।
3.	ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	173.00	0.00	
4.	पर्यटन और नागरिक उड्डयन	हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का पुनर्वास और संचालन/रखरखाव	100.00	0.00	
5.	जनजातीय विकास/ अनुसूचित जाति उप योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	92.31	0.00	
6.	ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	51.33	0.00	
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वित्त विभाग में पेंशनभोगियों की आरक्षित निधि	50.00	0.00	
8.	सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	37.50	0.00	
9.	सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास	35.54	0.00	
10.	अनुसूचित जाति उप योजना	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	0.00	

स्रोत: विनियोजन लेख।

आगे यह भी पाया गया कि 114 योजनाओं में, जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ व अधिक का) किया गया था, परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, ऐसी 19 योजनाएं थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ 10 करोड़ व उससे अधिक) या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय द्वारा अभ्यर्पण कर दिया गया। इन 19 योजनाओं का विवरण तालिका-3.19 में दिया गया है:

तालिका-3.19: उन योजनाओं का विवरण जहां संपूर्ण बजट प्रावधान घटा दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
1	% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	385.75	-76.89	-308.86	0
2	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	27.78	-10.68	-17.10	0
3	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वान व उसकी सहायक नदियों (iv) का दौलतपुर से गगरेट ब्रिज तक चैनलाइजेशन	14.95	-14.95	0.00	0
4	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	12.50	-12.50	0.00	0
5	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	37.50	-37.50	0.00	0
6	कमान क्षेत्र विकास	13.60	-13.60	0.00	0
7	लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास	35.54	-35.54	0.00	0
8	अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय	13.10	-4.24	-8.86	0
9	कृषि कोष	20.00	0.00	-20.00	0
10	मिड डे मील	11.00	0.00	-11.00	0
11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	12.59	-9.42	-3.17	0
12	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	92.31	-77.82	-14.49	0
13	वित्त विभाग के पास पेंशनभोगियों की आरक्षित निधि	50.00	-49.82	-0.18	0
14	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान	23.47	-9.09	-14.38	0
15	हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का पुनर्वास और संचालन/रखरखाव	100.00	-80.21	-19.79	0
16	बीपीएल परिवारों को गेहूं व चावल पर सब्सिडी	24.24	0.00	-24.24	0
17	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	241.65	-129.42	-112.23	0
18	स्वर्ण जयंती आश्रय आवास योजना	25.00	-25.00	0.00	0
19	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	23.90	-2.50	-21.40	0
	योग	1164.88	-589.20	-575.69	0

संस्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना दर्शाता है कि राज्य सरकार के विभागों ने ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए या तो पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। खराब योजना कार्यान्वयन क्षमताएं विभागों की बैंक खातों में सरकारी खाते के बाहर नकद शेष राशि को बनाए रखने की या निधियों को वर्ष के अंत में

अभ्यर्पण करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन तथा अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशत (पहली तिमाही-20 प्रतिशत; दूसरी तिमाही - 25 प्रतिशत; तीसरी तिमाही -30 प्रतिशत; चौथी तिमाही-25 प्रतिशत) निर्धारित किए हैं। मार्च 2021 में पर्याप्त व्यय (50 प्रतिशत से अधिक) किए गए मामलों का विवरण परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। कुछ मामले जहां मार्च में शीर्ष के तहत कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) का व्यय हुआ, वे नीचे तालिका-3.20 में विवर्णित हैं।

तालिका-3.20: अनुदान जहां मार्च माह में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया तथा कुल व्यय ₹ 100 करोड़ से अधिक था

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-03-105-01	118.08	72.49
2	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	2059-80-799-03	277.50	67.83
3		3054-04-105-06	431.54	54.09
4		3054-04-105-20	182.90	54.24
5		2401-00-119-57	158.97	80.50
6		2215-01-102-12	255.15	63.55
7		2702-80-001-06	171.60	61.25
8		4215-01-102-01	159.76	67.06
9		23- ऊर्जा विकास	2801-80-101-07	520.45
10	2049-03-104-01		1,107.96	98.14
11	2049-05-105-02		107.50	100

इन प्राप्तियों के प्रति मासिक प्राप्तियों व व्यय का विवरण चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियां एवं व्यय



अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 9- "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" तथा अनुदान संख्या 10-"लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन") के सन्दर्भ में 2018-19 से 2020-21 की अवधि में व्यय पर बजटीय प्रक्रिया एवं नियंत्रण की समीक्षा से निम्नवत उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) हेतु अनुदान के राजस्व व पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत आवंटित निधियां, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका-3.21 में दी गई है:

तालिका- 3.21: आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/ आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)
2018-19	राजस्व प्रभाग	1,994.23	0.02	1,994.25	1,663.42	-330.83
	पूँजीगत प्रभाग	186.77	78.58	265.35	256.41	-8.94
2019-20	राजस्व प्रभाग	2,172.35	33.75	2,206.10	1,828.33	-377.77
	पूँजीगत प्रभाग	153.18	45.18	198.37	173.06	-25.30
2020-21	राजस्व प्रभाग	2,406.99	0.40	2,407.40	1,917.75	-489.64
	पूँजीगत प्रभाग	155.55	108.00	263.55	254.75	-8.80

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अनुदान के तहत दोनों प्रभागों (राजस्व एवं पूँजीगत) के तहत बजट प्रावधान के प्रति निरंतर बचत हुई थी।

बजट प्रावधानों से हुई बचत

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने या तो अनुदान के तहत अत्यधिक बजट प्रावधान बनाए थे अथवा निर्धारित प्रक्रिया/नियमानुसार राशि संवितरित/अभ्यर्पित नहीं की थी। अनुदान के तहत 13 मामलों/उप-शीर्ष जिसमें बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) पर कुल ₹ 348.04 करोड़ की बड़ी बचत हुई थी, का विवरण नीचे तालिका-3.22 में दिया गया है:

तालिका- 3.22: बजट प्रावधान से हुई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	अंतिम अनुदान	व्यय	बचतें
1	2210-01-001-01-S00N	30.77	0.00	-10.00	20.77	16.74	-14.03
2	2210-01-110-03-S00N	243.06	0.00	-9.91	233.14	174.44	-58.71
3	2210-02-001-02-S00N	84.50	0.00	-0.29	84.21	62.72	-21.50
4	2210-03-110-01-S00N	437.86	0.00	-103.25	334.61	284.53	-50.09
5	2210-04-101-02-S00N	110.42	0.00	0.00	110.42	89.07	-21.34
6	2210-05-105-01-S00N	206.26	0.00	-37.12	169.15	157.43	-11.71
7	2210-05-105-06-S00N	107.77	0.00	-8.74	93.77	93.60	-14.17
8	2210-06-200-06-S00N	15.00	0.00	0.00	15.00	0.98	-14.02
9	2211-00-101-01-S00N	109.94	0.00	0.00	109.94	73.46	-36.48
10	2211-00-200-05-C90N	70.01	0.00	0.00	70.01	35.95	-34.06
11	2211-00-200-05-C90N	169.04	0.00	0.00	169.04	149.73	-19.32
12	2211-00-200-05-C90N	50.41	0.00	0.00	50.41	12.69	-37.72
13	4210-01-110-01-S00N	13.98	0.00	0.00	13.98	2.51	-11.47
14	4210-03-105-05-S00N	20.86	0.00	0.00	20.86	1.07	-19.79
15	4210-03-105-07-S00N	11.84	0.12	0.00	11.96	0.12	-11.84
योग		1,543.18	0.12	-150.57	1,392.73	1,044.68	-348.04

संबंधित सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (दिसंबर 2021) कि स्वीकृत कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार न करने, स्थानांतरण प्रविष्टियों की अस्वीकृति एवं कार्य के कम निष्पादन के कारण बचतें हुईं।

व्यय का तीव्र प्रवाह

विगत तिमाही में जहां अनुदान के तहत पर्याप्त व्यय किया गया था, उन मामलों का विवरण नीचे तालिका-3.23 में दिया गया है:

तालिका-3.23: व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	जनवरी-मार्च में व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च के दौरान	मार्च में
1	4210-03-105-01	118.08	105.79	85.59	89.59	72.48
2	4210-03-105-03	37.09	37.09	28.94	100.00	78.03

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान अनुदान के तहत व्यय का तीव्र प्रवाह पाया गया, जो संबंधित विभाग (विभागों) द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने को दर्शाता है।

3.5.2 अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माण कार्य- सड़क, पुल और भवन

विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) हेतु आवंटित निधियों, किए गए व्यय एवं राजस्व व पूंजीगत प्रभागों के तहत अनुदान में बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका-3.24 में दी गई है:

तालिका-3.24: आवंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)
2018-19	राजस्व प्रभाग	3,308.06	0.20	3,308.26	3,039.07	-269.19
	पूंजीगत प्रभाग	1,216.28	230.11	1,446.39	1,496.32	49.93
2019-20	राजस्व प्रभाग	3,540.28	30.12	3,570.40	2,833.51	-736.89
	पूंजीगत प्रभाग	1,294.53	618.07	1,912.60	1,631.13	-281.48
2020-21	राजस्व प्रभाग	3,752.85	0.28	3,753.17	2,790.01	-963.12
	पूंजीगत प्रभाग	1,208.50	243.30	1,451.80	1,508.58	56.78

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अनुदान के राजस्व प्रभाग के बजट प्रावधान के अंतर्गत पर्याप्त बचत हुई थी। यह इंगित करता है कि विभागों में

बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा वर्ष हेतु निधियों का आवंटन करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

अनावश्यक या अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

जिन मामलों में पुनर्विनियोजन के बाद अनुदान के तहत बचत/आधिक्य हुआ है, उन्हें तालिका-3.25 में दिया गया है।

तालिका-3.25: अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपुरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य(+)/ बचत (-)
1	5054-00-101-01	5.00	0.75	13.78	19.53	25.56	6.03
2	5054-04-337-09	394.86	117.7	66.12	578.68	724.20	145.52
3	3054-04-105-02	366.7	0.28	14.19	381.17	376.31	-4.86
4	3054-04-105-19	184.44	0	0.13	184.57	134.94	-49.63
5	4059-01-051-07	12.90	0	9.20	22.10	20.03	-2.07
6	5054-04-337-02	125.24	21.16	29.62	176.02	165.61	-10.41
7	5054-04-337-11	50.00	0	10.00	60.00	44.07	-15.93

दो मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय कुल प्रावधान से अधिक था, जबकि पांच मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ।

व्यय का तीव्र प्रवाह

वे मामले जहां पिछली तिमाही में पर्याप्त व्यय किया गया था, उनका विवरण नीचे तालिका-3.26 में दिया गया है:

तालिका-3.26: व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	जनवरी-मार्च में व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च के दौरान	मार्च में
1	2059-80-799-03	277.50	250.23	188.22	90.17	67.83
2	3054-04-105-06	431.54	287.74	233.41	66.68	54.09
3	3054-05-105-20	182.9	133.19	99.21	72.82	54.24
4	5054-06-101-01	25.56	23.45	16.96	91.74	66.35
5	5054-07-337-11	44.07	34.48	28.97	78.24	65.74
6	5054-08-337-21	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान अनुदान के तहत व्यय करने का प्रवाह तीव्र था, जो संबंधित विभाग (विभागों) द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने को दर्शाता है।

3.6 निष्कर्ष

- बजटीय प्रबंधन स्तरीय नहीं था क्योंकि 2020-21 के दौरान समग्र बजट उपयोग कुल अनुदान एवं विनियोजन का 86.27 प्रतिशत रहा। बजटीय आवंटन सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि कुल 32 अनुदानों में से 15 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई; एवं पांच अनुदानों में विगत पांच वर्षों से ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई। अनुपूरक प्रावधान भी सही ढंग से नहीं बनाए गए थे क्योंकि 11 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। 2020-21 के दौरान 20 शीर्षों के तहत आठ अनुदानों/विनियोजनों में कुल व्यय का 100 प्रतिशत मार्च, 2021 के महीने में व्यय किया गया था।
- तीन अनुदानों एवं दो विनियोजनों में किया गया, ₹ 88.69 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका द्वारा दिए गए प्राधिकरण से अधिक था। इस अधिक व्यय को 2014-15 से 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 8,729.78 करोड़ के व्यय आधिक्य सहित राज्य विधायिका से नियमित किया जाना अपेक्षित है।
- 55 योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक के बजट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 32 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन या अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। यह राज्य सरकार के विभागों द्वारा कमज़ोर वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा तथा संसाधनों का भी अवरोधन हुआ।

3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार बजट प्राक्कलन बनाने हेतु उसके पूर्वानुमानों में और अधिक वैज्ञानिकता एवं सटीकता लाएं।
- राज्य सरकार को निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति का पता लगाने तथा बचत आधिक्य/के आंकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय करने से बचा जाए तथा इसे शीघ्रतिशीघ्र विनियमित किया जाए।